

विज्ञप्ति संशोधन

इस कार्यालय के विज्ञप्ति सं० C-1882/जि०का०/बा०वि०परि०/लेखा/
2013-14 दिनांक 13-11-2013 के विन्दु संख्या-10 एवं 17 में आंशिक संशोधन किया
गया है, जो जनपद जौनपुर की वेबसाइट www.jaunpur.nic.in के अन्तर्गत टेण्डर
लिंक पर देखा जा सकता है। संशोधित विज्ञप्ति अनुसार प्रस्ताव दिनांक 06-12-2013
की सायं 05.00 बजे तक जमा किया जा सकता है, शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

(पवन कुमार यादव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास,
जौनपुर।

कार्यालय— जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, जनपद जौनपुर।

पत्रांक-1848/जि०का०/बा०वि०परि०/लेखा/संशोधन/2013-14 दिनांक-19-11-13

प्रतिलिपि— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी, जौनपुर।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 4- सहायक निदेशक, सूचना जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त
विज्ञप्ति को हिन्दी समाचार पत्र (दो पंजीकृत) में न्यूनतम स्थान व धनराशि में
प्रकाशित कराते हुए भुगतान हेतु दो प्रतियों में विल प्रमाणित कर प्रेषित करने
का कष्ट करें।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जौनपुर को सी०डी० सहित इस अनुरोध के
साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को [nic](http://www.jaunpur.nic.in) के वेबसाइट www.jaunpur.nic.in के
अन्तर्गत टेण्डर लिंक पर अपलोड करना चाहे।
- 6- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद जौनपुर।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास,
जौनपुर।

कार्यालय- जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, जनपद जौनपुर के विज्ञप्ति सं०-C-1882/जि०का०/बा०वि०परि०/लेखा/2013-14 दिनांक 13-11-2013 के बिन्दु संख्या-10 वं 17 में निम्न आंशिक संशोधन किये गये हैं:-

बिन्दु सं०-10

जनपद का एक माह का अनुमानित व्यय लगभग रू० 1.50 करोड़ (एक करोड़ पचास लाख) है। अतः आवश्यक है कि संस्था आर्थिक व भौतिक रूप से समृद्ध हो तथा उसके पास पर्याप्त संसाधन हो, ताकि प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् तत्काल परियोजना क्षेत्रों में कियेन की स्थापना कर गरम भोजन की आपूर्ति प्रारम्भ कर सके। संस्था की वित्तीय व भौतिक स्थिति का आंकलन हेतु संस्था के बैंक खाते का पासबुक की प्रमाणित प्रति एवं खाते के अद्यतन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

बिन्दु संख्या-17

प्रस्ताव के साथ बिन्दु संख्या-10 के अनुसार अनुमानित व्यय का 2 % अर्थात् रू० 3 लाख (तीन लाख) एफ०डी०आर०/टी०डी०आर०/बाण्ड अर्नेस्ट मनी के रूप में जिला कार्यक्रम अधिकारी, जौनपुर के पक्ष में बन्धक करना अनिवार्य है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात् संस्था द्वारा उक्त कार्य का फील्ड एप्रेजल प्रस्तुत करना होगा। विलम्ब होने या फील्ड एप्रेजल में असफल रहने पर संस्था की अर्नेस्ट मनी जब्त कर प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा। फील्ड एप्रेजल सफल रहने पर नियमानुसार धरोधर धनराशि जमा कराकर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
बाल विकास
जौनपुर